आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कारवाई बारे में टिप्प तारीख के

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 197/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

28/11/24

भूदाता जगधर राम, पिता–दिनेश राम, ग्राम–अहमदपुर, थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
42	1457	01 कठा	उत्तर–देवी कहार दक्षिण–दिनेश राम पूरब– भगत राम पश्चिम–नीज

मौजा– हसनपुर पिपरा, थाना नं०–94, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 द्वारा अंचल अधिकारी करपी के माध्यम नोटिस तामिला कराया गया एवं प्रस्तावित भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। मौजा–हसनपुर पिपरा थाना नं0 94 अरवल अंचल से संबंधित है, जिसे अंचल अधिकारी अरवल से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी अरवल ने कार्यालय पत्रांक 878 दिनांक 30.07.2021 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। भूदाता का नोटिस तामिल प्राप्त। अंचल अधिकारी अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि प्रस्तावित भूमि का खतीयान उपलब्ध नहीं हैं खतीयान रैयत से भूदाता का संबंध स्पष्ट नहीं है। खेसरा संख्या 1457 का किसी के नाम पर जमावंदी नहीं चलता है। वर्णित खेसरा मौजा में नहीं है। भूदान पर्चा त्रुटिपूर्ण है।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान दान पत्र पर भूदाता का अंगुठा का निशान अंकित है। बरत लाल गवाह का नाम गवाह में दर्ज है। भूदाता की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी के द्वारा आपति दाखिल किया गया।

अंचल अधिकारी अरवल का कार्यालय पत्रांक 878 दिनांक 30.07.2021 द्वारा जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि मौजा–पिपरा बंगला, थाना नं0 94 हल्का अमरा जिला–अरवल में खेसरा संख्या 1457 नहीं है।

अतः अंचल अधिकारी, अरवल का पत्रांक 878 दिनांक 30.07.2021 के आलोक में भूदाता द्वारा भूदान यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से दान में दी गई भूमि को असंपुष्ट किया जाता है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

28/11/24

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

28/11/24

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।